UPFR060005382013

Comp./2200505/2013

Smt. Divya Nigam Vs. Prakhar Nigam Others

न्यायालय- अपर सिविल जज(जू०डि०)न्यायालय कक्ष सं० 3 फर्रूखाबाद।

उपस्थित- अखिल कुमार .....पी०सी०एस०जे० JOUP3333

वाद संख्या505/13

श्रीमती दिव्या निगम

बनाम

प्रखर निगम आदि ।

आदेश

10-07-2021

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुई। परिवादिनी की ओर से परिवाद धारा 406 भा०दं०सं० के अन्तर्गत दाखिल किया गया । परिवादिनी का धारा 200 दं०प्र०सं० व गवाह पी०डब्लू० 1 दिलीप कुमार सक्सेना व पी०डब्लू० 2 निखर सक्सेना के बयान अंकित किये गये जिनके आधार पर विपक्षीगण प्रखर निगम, नरेन्द्र प्रकाश व मधुबाला को धारा 406 भा०दं० सं० के अन्तर्गत तलब किया गया । परिवादिनी दिव्या निगम अपने अधिवक्ता श्री कुँ० सचेन्द्र प्रताप सिंह सहित न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित। परिवादिनी की ओर से समझौता पत्र संख्या 28A पत्रावली पर संलग्न है। समझौते पत्र पर परिवादिनी की फोटो व हस्ताक्षर हैं। समझौता पत्र तस्दीक किया गया है। समझौता पत्र में कथन किया है कि उपरोक्त वाद में परिवादिनी व विपक्षीगण के मध्य समझौता हो गया है । परिवादिनी उक्त वाद को अब चलाना नहीं चाहती है । समझौता के आधार पर परिवादिनी द्वारा अपने उक्त वाद को इसी स्तर पर समाप्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

समझौता नामा कागज सं० 28A परिवादिनी के अधिवक्ता की उपस्थिति में पढ़कर सुनाया गया ,जिसको परिवादिनी ने स्वीकार किया ।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए समझौता पत्र कागज संख्या28A के आधार पर प्रस्तुत वाद निर्णीत किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद समझौता पत्र 28A के आधार पर निर्णीत किया जाता है। विपक्षीगण प्रखर निगम ,नरेन्द्र प्रकाश व मधुबाला को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 406 भा०दं०सं० के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। समझौता पत्र 28A निर्णय का भाग रहेगा । पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(अखिल कुमार)

न्यायिक दण्डाधिकारी तृतीय

फर्रूखाबाद।